

अतिम खिन्नी व मुकदमे इब्तादाई

(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज्र अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,  
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :108/2020

श्रीनम-

1. कमलकिशोर पुत्र पुरुषोत्तम जाति ब्रह्मण, निवासी-खिंयाला, जायल, नागौर।

बनान

वादीनम -

1. पुरुषोत्तम पुत्र जयनारायण

2. रानानुज पुत्र पुरुषोत्तम फौद के कायन मुकान

2/1 संगीता पत्नी रानानुज

2/2 नवीन पुत्र रानानुज उम्र 16 वर्ष ना.बा संरक्षक जरिये माता संगीता

2/3 ननीषा पुत्री रानानुज उम्र 14 वर्ष ना.बा संरक्षक जरिये माता संगीता

जातियान-ब्रह्मण, निवासीगण-खिंयाला तहसील जायल (नागौर)

3. ललिता पुत्री पुरुषोत्तम

4. मुन्नी पुत्री पुरुषोत्तम

5. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

स्थिति :-

1. श्री मुन्नीराम मालोदिया अधिवक्ता वादी की ओर से

2. श्री हरीसिंह एवं विकास पारीक अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से

3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित परफॉर्मा पक्षकार

वादा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- : : खिन्नी आदेश : : -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री मुन्नीराम मालोदिया अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 श्री हरीसिंह एवं विकास पारीक अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया ता है कि - यत् वादी का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तिकार क्रिया जाकर मौजा खिंयाला के खेत खसरा नं. 325 रकबा 1.2383 हैक्टयर, 327 रकबा


6

25/10/2024  
अधीनकार वकील  
(एस.के.ओ.)

666 हैक्टेयर, खसरा नंबर 344 रकबा 1.1088 हैक्टेयर, खसरा नंबर 621 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 664 रकबा 0.8013 हैक्टेयर, खसरा नंबर 789 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खसरा नंबर 799 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा नंबर 818 रकबा 1.2383 हैक्टेयर, खसरा नंबर 858 रकबा 2.1853 हैक्टेयर, खसरा नंबर 853 रकबा 0.4775 हैक्टेयर, खसरा नंबर 948 रकबा 1.0846 हैक्टेयर में माफि इकबालिया जबाब/सहमति के साथ प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को प्रतिवादी पुरुषोत्तम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा निम्न प्रकार से अंतिम कर ही किया जाता है।

1. वादी कमल किशोर के हक बंट कब्जा काशत में मौजा खियाला का खेत खसरा नंबर 325 रकबा 1.2383 हैक्टेयर, खसरा नंबर 327 रकबा 0.5866 हैक्टेयर, खसरा नंबर 664 रकबा 0.8013 हैक्टेयर रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 कमश संगीता, नवीन, मनीषा के संयुक्त हक बंट कब्जा काशत में मौजा खियाला का खेत खसरा नंबर 621 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 830 रकबा 0.7042 हैक्टेयर, खसरा नंबर 948 रकबा 1.0846 हैक्टेयर रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 पुरुषोत्तम के हक बंट कब्जा काशत में मौजा खियाला का खेत खसरा नंबर 344 रकबा 1.1088 हैक्टेयर, खसरा नंबर 789 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खसरा नंबर 799 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा नंबर 818 रकबा 1.2383 हैक्टेयर, खसरा नंबर 858 रकबा 2.1853 हैक्टेयर, खसरा नंबर 853 रकबा 0.4775 हैक्टेयर रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 कमश ललिता एवं मुन्नी के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का जरिये तर्कनामा नियमानुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाना उचित है।

निर्णय आज दिनांक 25/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल-(नागौर)